भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1169
उत्तर देने की तारीखः 25.11.2019

शिक्षा पद्धति में सुधार

1169. डॉ . अमर सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निजी स्कूलों और कॉलेजो को दरनिकार करते हुए बच्चों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विषय को पूरी तरह से अपने हाथों में रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में किए गए शोध से यह भी पता चला है कि निजी शिक्षा सिर्फ परीक्षाओं को प्रोत्साहित कर रही है और बच्चों को समाज में होने वाली समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के बजाय अंक और रैंक देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार परीक्षाओं पर ध्यान केन्द्रित करने और कक्षा में 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त करने के बजाय छात्रों के भविष्य को आकार देने के लिए एक व्यापक शिक्षा प्रणाली पर काम कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी तथ्य है कि निजी क्षेत्र में 30 से 50 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा और 60 से 80 प्रतिशत उच्च शिक्षा हमारे देश की भविष्य की शिक्षा नीति के लिए अच्छी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में देश में प्राथमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा से निजी क्षेत्र को पूरी तरह से हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनता की परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए स्कूल व उच्चतर शिक्षा सहित सभी स्तरों और उप-क्षेत्रों जिसमें शामिल हैं प्रौढ़ शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर कई सुझाव और इनपुट प्राप्त हुए हैं। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रारूप एनईपी 2019, जो मंत्रालय की वेबसाइट और साथ ही innovate.mygov.in प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था, पर भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से बड़ी संख्या में सुझाव / टिप्पणियां प्राप्त हुए हैं| राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।

*****

'शिक्षक वृन्द की कमी' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राहुल कस्वां एवं श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा दिनांक 25.11.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1172 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित संलग्नक

राज्य-वार स्वीकृत संख्या और कार्यरत शिक्षण कर्मचारी				
क्र.सं.	**राज्य**	**कुल**		
		एसएस	**आईपी**	**एसएस – आईपी**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	6577	6030	547
3	अरुणाचल प्रदेश	693	651	42
4	असम	4453	3304	1149
5	बिहार	5419	1855	3564
6	चंडीगढ़	2099	1449	650
7	छत्तीसगढ़	3218	2093	1125
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0
10	दिल्ली	6261	5170	1091
11	गोवा	231	240	-9
12	गुजरात	6778	6088	690
13	हरियाणा	8647	6630	2017
14	हिमाचल प्रदेश	3549	2590	959
15	जम्मू और कश्मीर	2324	2039	285
16	झारखंड	3066	1889	1177
17	कर्नाटक	10098	8500	1598
18	केरल	3288	2243	1045
19	लद्दाख	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	7743	6151	1592
22	महाराष्ट्र	8154	6838	1316
23	मणिपुर	843	561	282
24	मेघालय	1148	908	240

25	मिजोरम	365	269	96
26	नगालैंड	485	421	64
27	ओडिशा	5283	4543	740
28	पुडुचेरी	648	449	199
29	पंजाब	10472	8994	1478
30	राजस्थान	13924	11566	2358
31	सिक्किम	523	454	69
32	तमिलनाडु	21317	21664	-347
33	तेलंगाना	5283	3156	2127
34	त्रिपुरा	517	472	45
35	उत्तराखंड	5541	4768	773
36	उत्तर प्रदेश	20149	16393	3756
37	पश्चिम बंगाल	8139	6276	1863
	अखिल भारतीय	**177235**	**144654**	**32581**

स्रोत : अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण पोर्टल 2018-19